चंडीगढ़ संबंधी प्रस्ताव

प्रलिम्सि के लयिे:

चंडीगढ़ पर संकल्प, पंजाब पुनर्गठन अधनियिम, 1966, आनंदपुर साहबि 1973 का संकल्प, राजीव-लोंगोवाल समझौता, केंद्रशासति प्रदेश, भारतीय संवधिान का अनुच्छेद 3

मेन्स के लयिे:

केंद्रशासति प्रदेशों, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार का नयिंत्रण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने वधिानसभा में एक प्रस्ताव पेश कयिा, जसिमें चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब में हस्तांतरति करने की मांग की गई।

- चंडीगढ़ को लेकर **पंजाब और हरयिाणा के बीच लंबे समय से चल रहा ववाद** तब और बढ़ गया जब केंद्र ने केंद्रशासति प्रदेश में कर्मचारयिों के लयिे **पंजाब सर्वसि रूल्स की जगह सेंट्रल सर्वसि रूल्स** अधसिूचति कयिा।
- **पंजाब का** पुनर्गठन **पंजाब पुनर्गठन अधनियिम, 1966** के माध्यम से कयिा गया था, जसिमें पंजाब राज्य को हरयिाणा तथा केंद्रशासति प्रदेश चंडीगढ़ (पंजाब और हरयिाणा की संयुक्त राजधानी भी) और पंजाब के कुछ हसि्सों को तत्कालीन केंद्रशासति प्रदेश हमिाचल प्रदेश में मलिा दयिा गया था।

चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी कब और कैसे बनी?

- भारत के वभिाजन के बाद भारत सरकार लाहौर की तरह भारत में पंजाब के लयिे खूबसूरत और मॉडर्न राजधानी चाहती थी। इसी समय चंडीगढ़ के वचिार की कल्पना की गई।
- वर्ष 1966 में राज्य को पंजाब और हरयिाणा में वभिाजति कर दयिा गया, जसिके कुछ हसि्से हमिाचल प्रदेश के अंतर्गत आते थे।
    - हरयिाणा राज्य के गठन तक **चंडीगढ़ पंजाब** की राजधानी बना रहा।
- पंजाब के पुनर्गठन के दौरान केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि हरयिाणा राज्य को अपनी राजधानी मलिेगी।
    - वर्ष 1970 में केंद्र ने घोषणा की कि "**चंडीगढ़ राजधानी परयिोजना क्षेत्र, समग्र रूप से पंजाब में जाना चाहयिे**"।
    - हरयिाणा से कहा गया था कि वह पाँच साल तक चंडीगढ़ में कार्यालय और आवासीय आवासों का उपयोग तब तक करे जब तक कि वह अपनी राजधानी नहीं बना लेता।
    - हालाँकि चंडीगढ़ एक केंद्रशासति प्रदेश बना रहा क्योंकि हरयिाणा द्वारा अपनी राजधानी नहीं बनाई गई।
- पंजाब की राजधानी (वकिास और वनियिमन) अधनियिम, 1952 के अनुसार, चंडीगढ़ में संपत्तयिों को पंजाब व चंडीगढ़ के बीच **60:40** के अनुपात में वभिाजति कयिा जाना था।

चंडीगढ़ पर बाद में क्या दावे कयिे गए?

- अगस्त 1982 में अकाली दल (राजनीतकि दल) ने पंजाब पुनर्गठन अधनियिम पर असंतोष व्यक्त करते हुए वर्ष 1973 के आनंदपुर साहबि प्रस्ताव के लक्ष्यों को साकार करने के उद्देश्य से वरिोध प्रदर्शन शुरू कयिा। अकाली दल द्वारा वर्ष 1973 में अपनाए गए आनंदपुर साहबि प्रस्ताव में मांग की गई थी कि केंद्र के अधकिार क्षेत्र को केवल **रक्षा, वदिेशी मामलों, संचार और मुद्रा तक** ही सीमति रखा जाना चाहयिे तथा सभी अवशषिट शक्तयिाँ राज्यों में नहिति होनी चाहयिे।
    - अन्य मांगों के अलावा इसने चंडीगढ़ को पंजाब में हस्तांतरति करने को कहा।
- वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सहि लोंगोवाल के बीच **राजीव-लोंगोवाल समझौते** पर हस्ताक्षर कयिे गए थे।
    - अन्य बातों के अलावा केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब में हस्तांतरति करने पर सहमति व्यक्त की तथा **26 जनवरी, 1986 को वास्तवकि हस्तांतरण** की तारीख तय की गई।

- हालाँकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक महीने से भी कम समय के बाद **लोंगोवाल की आतंकवादियों द्वारा हत्या** कर दी गई।

केंद्रशासित प्रदेश क्या हैं और ये राज्यों से किस प्रकार अलग हैं?

- केंद्रशासित प्रदेश (UT) प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं।
- संविधान का भाग VIII केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
- भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के लिये एक प्रशासक या उप-राज्यपाल की नियुक्ति करता है। व्यवहार में इसका अर्थ है कि केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार की इच्छा का पालन करते हैं।
- केंद्रशासित प्रदेशों की अवधारणा संविधान के मूल संस्करण में नहीं थी, बल्कि यह संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ी गई थी।
- केंद्रशासित प्रदेशों का शासन अलग-अलग तरीकों से किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास विधानसभा है अथवा नहीं।
  - छोटे केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है, उदाहरण के लिये चंडीगढ़, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली बिना किसी निर्वाचित विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश हैं।
  - दूसरी ओर, पुद्दुचेरी और **जम्मू-कश्मीर** में एक उपराज्यपाल के साथ एक विधानसभा और निर्वाचित सरकार है। नई दिल्ली की स्थिति पूर्णतः अलग है और यह केंद्रशासित प्रदेश और राज्य के बीच मौजूद है।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद-3** के अनुसार, भारत में नए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बनाने की संवैधानिक शक्ति पूरी तरह से भारत की संसद के पास है।
- संसद नए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की घोषणा करके मौजूदा राज्य से किसी क्षेत्र विशिष्ट को अलग करके या दो या अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों या उनके कुछ हिस्सों का विलय करके ऐसा कर सकती है।

विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. पंजाब का राज्यपाल समवर्ती रूप से चंडीगढ़ का भी प्रशासक है।
2. केरल का राज्यपाल समवर्ती रूप से लक्षद्वीप का भी प्रशासक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- वर्ष 1966 में हरियाणा का गठन पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों से किया गया था। बाद में चंडीगढ़ को एक मुख्य आयुक्त, एक सेवारत नौकरशाह द्वारा प्रशासित किया गया। 1 जून, 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' की पूर्व संध्या पर मुख्य आयुक्त प्रणाली को बंद कर दिया गया। इस प्रकार पंजाब के राज्यपाल द्वारा चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभालने की प्रथा शुरू हुई।**अत: कथन 1 सही है।**
- लक्षद्वीप का एक अलग प्रशासक है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती में स्थित है। **अत: कथन 2 सही नहीं है।**
- **अतः विकल्प (a) सही है।**

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/resolution-on-chandigarh